भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7

नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट)

*(इस भारतीय लेखा-मानक में **मोटे** टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)*

उद्देश्य

किसी भी प्रतिष्ठान की नकदी प्रवाह संबंधी सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है जिसके आधार पर वे प्रतिष्ठान द्वारा नकदी तथा नकदी-तुल्यों की सृजन की क्षमता का आंकलन कर सकते हैं और उन नकदी प्रवाहों का इस्तेमाल करने की प्रतिष्ठान की जरूरतों का पता लगा सकते हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा जो आर्थिक निर्णय लिये जाते हैं उसके लिए यह जरूरी है कि प्रतिष्ठान की नकदी एवं नकदी-तुल्य के सृजन की क्षमता तथा उनके सृजन के समय एवं निश्चितता का मूल्यांकन किया जाये ।

इस मानक का उद्देश्य है प्रतिष्ठान की नकदी तथा नकदी-तुल्यों के नकदी प्रवाह विवरणों के माध्यम से ऐतिहासिक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना जिसमें परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से अवधि के दौरान नकदी प्रवाह के वर्गीकरण का पता लगाया जा सकता है।

कार्यक्षेत्र

1. **कोई भी प्रतिष्ठान इस मानक की अपेक्षाओं के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार करेगा और जिस अवधि के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना है उसे उस प्रत्येक अवधि के लिए वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करेगा ।**

2. [परिशिष्ट 1 देखें] ।

3. किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की रूचि इसमें होती है कि प्रतिष्ठान किस प्रकार नकदी एवं नकदी-तुल्यों का सृजन करता है और किस प्रकार इनका उपयोग करता है। यह बात सच है कि भले ही प्रतिष्ठान की गतिविधियां कुछ भी हों और भले ही प्रतिष्ठान का उत्पाद् नकदी हो, जैसे कि वित्तीय प्रतिष्ठानों के मामले में है। प्रतिष्ठानों की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां कितनी भी अलग-अलग क्यों न हों उन्हें समान कारणों से नकदी की जरूरत होती है। उन्हें अपने परिचालनों के संचालन, अपने दायित्वों के भुगतान और अपने निवेशकों को प्रतिफल प्रदान करने के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। तदनुसार, इस मानक की यह अपेक्षा है कि सभी प्रतिष्ठान नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करें ।

नकदी प्रवाह सूचना के लाभ

4. जब नकदी प्रवाह विवरण का इस्तेमाल अन्य वित्तीय विवरणों के साथ किया जाता है तो वह ऐसी सूचना प्रदान करता है जिससे उपयोगकर्ता किसी प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों में होने वाले परिवर्तनों, उसके वित्तीय ढांचे (उसकी अर्थ-सुलभता और शोधन-क्षमता सहित) तथा बदलती हुई परिस्थितियों और अवसरों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए नकदी प्रवाह की रकम और समय को प्रभावित करने की योग्यता को जान पाता है। नकदी प्रवाह सूचना किसी प्रतिष्ठान की नकदी तथा नकदी-तुल्य सृजन की क्षमता का निर्धारण करने में सहायक होती है और इसकी मदद से उपयोगकर्ता ऐसे मॉडल तैयार कर पाता है जिससे विभिन्न प्रतिष्ठानों के भावी नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य की तुलना की जा सकती है। इससे विभिन्न प्रतिष्ठानों के परिचालन कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग की तुलनात्मकता भी बढ़ती है क्योंकि एक ही प्रकार के लेन-देनों और घटनाओं के लिए भिन्न-भिन्न लेखा पद्धतियों के इस्तेमाल करने के प्रभाव इससे हट जाते हैं ।

5. ऐतिहासिक नकदी प्रवाह सूचना का इस्तेमाल प्रायःभावी नकदी प्रवाह की राशि, समय और निश्चितता के लिए किया जाता है। भावी नकदी प्रवाह का अतीत में निर्धारण करने की परिशुद्धता की जांच करने तथा लाभप्रदत्ता एवं शुद्ध नकदी प्रवाह के बीच संबध पता लगाने और बदलती कीमतों का प्रभाव जानने में भी यह उपयोग होता है।

परिभाषाएं

6. **इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहाँ विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है।**

नकदी - **इसमें हाथ में नकदी तथा मांग जमा शामिल होते हैं ।**

नकदी-तुल्य- **ऐसे निवेश जो अल्पावधि और बहुत अधिक अर्थ - सुलभ हों और जिन्हें ज्ञात नकद-राशियों में बदला जा सकता हो तथा जिनके मूल्य में होने वाला परिवर्तन कोई विशेष न हो।**

नकदी प्रवाह - **इसका अर्थ है नकदी व नकदी-तुल्यों का अंतः एवं बहिः प्रवाह ।**

परिचालन गतिविधियॉ - **इससे प्रतिष्ठान की राजस्व सृजन करने वाली मुख्य गतिविधियां तथा ऐसी गतिविधियां अभिप्रेत है जो निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियां न हों ।**

निवेश गतिविधियां - **इसका अर्थ है दीर्घावधि आस्तियों और ऐसे अन्य निवेशों का अधिग्रहण तथा निपटान जो नकदी-तुल्यों में सम्मिलित न हों ।**

वित्तपोषण गतिविधियां - **वे गतिवधियां है जो प्रतिष्ठान में लगायी गई 'इक्विटी' और उधारों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन लाती हों ।**

नकदी तथा नकदी-तुल्य

7. नकदी-तुल्य इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनसे अल्पकालीन नकदी देनदारियां निपटायी जा सकें ये निवेश तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं रखे जाते हैं। कोई भी निवेश तभी नकदी- तुल्य माना जायेगा जब वह नकदी की ज्ञात राशि में तत्काल परिवर्तनीय हो और उसके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नाम मात्रों का महत्वहीन हो। इसलिए, आमतौर पर कोई भी निवेश नकदी- तुल्य तब कहलाता है जब उसकी परिपक्वता अवधि कम हो, उदाहरण के लिए अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे भी कम । 'इक्विटी' निवेशों को नकदी-तुल्यों में तब तक शामिल नहीं किया जाता जब तक वे वास्तव में नकदी तुल्य न हों, उदाहरण के लिए, परिपक्वता की अल्पावधि के भीतर तथा निश्चित तिथि तक विमोचन योग्य अधिगृहीत अधिमान शेयर।

8. बैंक उधार प्रायः वित्तपोषण गतिविधियां माने जाते हैं। बहरहाल, बैंक अधिशेष जो मांग पर प्रतिदेय हों वे प्रतिष्ठान के नकदी प्रबंधन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट नकदी तथा नकदी-तुल्यों के अवयव (अंग) माने जाते हैं। ऐसी बैंकिंग व्यवस्थाओं का एक लक्षण यह है कि बैंक-शेष में प्रायः (उतारचढ़ाव आते रहते हैं और यह कभी घनात्मक (पोस्टिव) शेष तथा कभी ऋणात्मक (ओवरड्रान) शेष में बदलता रहता है)।

9. नकदी प्रवाह में, नकदी तथा नकदी-तुल्यों वाली वस्तुओं के परस्पर होने वाले परिवर्तनों शामिल नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिष्ठान विशेष के नकदी प्रबंधन का अंग होते हैं न कि उसके परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों के । नकदी प्रबंधन में नकदी तुल्यों में अधिक नकद का निवेश शामिल होता है।

नकदी-प्रवाह विवरण का प्रस्तुतिकरण

10. नकदी प्रवाह विवरण में अवधि के दौरान हुए नकदी प्रवाह की सूचना परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत की जायेगी ।

11. कोई भी प्रतिष्ठान परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले अपने नकदी प्रवाह की प्रस्तुति ऐसे ढंग से करती है जो उसके कारोबार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गतिविधियों के अनुसार वर्गीकरण से ऐसी सूचना मिलती है जिससे उपयोगकर्ताओं को उन गतिविधियों का प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति तथा उसकी नकदी और नकदी-तुल्यों की राशि पर प्रभाव का पता चलता है। इस सूचना से उन गतिविधियों के बीच के संबंध का भी आंकलन किया जा सकता है।

12. किसी एक एकल लेन-देन में ऐसे नकदी प्रवाह भी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आस्थगित भुगतान के आधार पर ली गयी संपति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की किस्त का भुगतान किया जाता है, तो ब्याज घटक को वित्तपोषण गतिविधियों के अंतर्गत और ऋण घटक को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन गतिविधियां

13. परिचालन गतिविधियों से जो नकदी प्रवाह की राशि उदभूत होती है वह इस बात का मुख्य संकेत देती है कि प्रतिष्ठान ने ऋण चुकाने, अपनी परिचालन क्षमता के रख-रखाव, लाभांशों के भुगतान तथा नये निवेश करने के लिए बाहरी वित्तपोषण के सहारे बिना पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर लिये हैं। भावी परिचालन नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी में अन्य सूचना के साथ-साथ ऐतिहासिक परिचालन नकदी प्रवाह के विशिष्ट अवयवों के संबंध में सूचना उपयोगी होती है ।

14. परिचालन गतिविधियों से होने वाला नकदी-प्रवाह मुख्य रूप से प्रतिष्ठान की मुख्य राजस्व उत्पादक गतिविधियों से उद्भूत होता है। इसलिए, यह सामान्यतया उन लेन-देनों और अन्य घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो लाभ या हानि के निर्धारक होते हैं। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

(क) वस्तुओं की बिक्री तथा सेवाएं प्रदान करने से मिलने वाली नकद-राशि ;

(ख) रॉयल्टी, फीस, कमीशन और अन्य प्रकार के राजस्व से मिलने वाली नकद-राशि ;

(ग) वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को नकद-भुगतान ;

(घ) कर्मचारियों को तथा उनकी ओर से नकद-भुगतान ;

(ङ) बीमा प्रतिष्ठान के प्रीमियम व दावों, वार्षिकी तथा अन्य पॉलिसी लाभों से संबंधित नकद प्राप्तियां तथा नकद भुगतान ;

(च) आयकर के लिए किया गया नकद-भुगतान अथवा प्राप्त रिफंड जब तक कि उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण तथा निवेश गतिविधियों से न जोड़ा जा सकता हो ; और

(छ) 'डीलिंग' और 'ट्रेडिंग' प्रयोजनों के लिए की गयी अनुबंधों संबंधी नकद प्राप्तियां एवं भुगतान ;

कुछ लेन-देन ऐसे भी होते हैं जैसे किसी संयंत्र की किसी मद की बिक्री, जिनसे लाभ या हानि होती है और उन्हें मान्य लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है। ऐसे लेन-देन से संबंधित नकद प्रवाह निवेश-गतिविधियों से हुए नकद-प्रवाह होते हैं । लेकिन, ऐसी आस्तियों, जिन्हें तो औरों को पहले किराये पर देने के लिए और बाद में बिक्री के लिए धारित किया जाता है, उनके निर्माण या अर्जन के लिए किया जाने वाला नकद भुगतान भारतीय लेखा मानक 16, *संपति, संयंत्र और उपस्कर* केअनुच्छेद, 68 'क' के अनुसरण में परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह की श्रेणी में आता है। इस तरह की आस्तियों से किराया व बाद में इनकी बिक्री से नकद प्राप्तियां भी परिचाालन गतिविधियों से नकद प्रवाह ही है।

15. कोई प्रतिष्ठान 'डीलिंग' अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजन से भी प्रतिभूतियां व ऋण रख सकती है, ऐसा होने पर वे विशेष रूप से पुनः बिक्री के लिए अर्जित सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) मानी जायेंगीं। इसलिए प्रतिभूतियों की डीलिंग अथवा ट्रेडिंग के क्रय और विक्रय से हुआ नकद-प्रवाह परिचालन गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । इसी प्रकार, वित्तीय प्रतिष्ठानोंद्वारा दिये गये नकद-अग्रिम तथा ऋण प्रायः परिचालन गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने है क्योंकि वे उस प्रतिष्ठान की मुख्य राजस्व-उत्पादक गतिविधियों से संबंद्ध होते हैं ।

निवेश गतिविधियां

16. निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नकद-प्रवाह का अलग से प्रकटन देना महत्वपूर्ण है क्योंकि नकद-प्रवाह से यह पता चलता है कि भावी आय और नकद-प्रवाह का सृजन करने के लिए संसाधनों हेतु किस सीमा तक व्यय किया गया है। जिन खर्चों को तुलन-पत्र में मान्य आस्ति के रूप में दर्शाया जाता है केवल वही खर्च निवेश गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किये जाने के योग्य हैं । निवेश-गतिविधियों से उत्पन्न नकदी-प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

(क) सम्पत्ति, सयंत्र और उपस्कर, अमूर्त तथा अन्य दीर्घकालीन आस्तियों के अर्जन के लिए नकद भुगतान । इन भुगतानों में पूंजीगत विकास की लागत तथा स्वयं निर्मित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर शामिल हैं ;

(ख) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त तथा अन्य दीर्घकालीन आस्तियों की बिक्री से नकद-प्राप्तियां;

(ग) अन्य प्रतिष्ठानों की 'इक्विटी' अथवा ऋण लिखतों तथा संयुक्त उद्यमों में हित अर्जित करने के लिए किये गये नकद भुगतान (उन लिखतों हेतु भुगतान को छोड़कर जिन्हें या तो नकदी के तुल्य माना गया है या जो 'डीलिंग' या 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों के लिए किये गये हैं) ;

(घ) अन्य प्रतिष्ठानों की 'इक्विटी' अथवा ऋण लिखतों तथा संयुक्त उद्यमों में हित की बिक्री करने पर नकद प्राप्तियां (उन लिखतों की प्राप्तियों को छोड़कर जिन्हें या तो नकदी के तुल्य माना गया है या जो डीलिंग या 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों के लिए किये गये हैं ;

(ङ) अन्य पार्टी/पक्ष को दिये गये नकद अग्रिम एवं ऋण (किसी वित्तीय संस्था के अग्रिमों एवं ऋणों को छोड़कर) ;

(च) अन्य पक्षों को दिये गये नकद अग्रिमों और ऋणों की चुकौती से नकद प्राप्तियां (किसी वित्तीय संस्था के अग्रिमों और ऋणों को छोड़कर) ;

(छ) भावी अनुबंधों, वायदा अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों और विनिमय (स्वैप) अनुबंधों के नकद भुगतान सिवाय उन परिस्थितियों के जब ये अनुबंधों 'डीलिंग 'अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों से की गयी हों अथवा भुगतानों को वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ;

(ज) भावी अनुबंधों, वायदा अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों और विनिमय (स्वैप) अनुबंधों की नकद प्राप्तियां सिवाय उन परिस्थितियों के जब ये अनुबंधों 'डीलिंग 'अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों की गयी हों अथवा प्राप्तियों को वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।

जब किसी अनुबंध को पता लगायी जा सकने वाली स्थिति के बचाव (हैज) के विचार से किया गया हो तो अनुबंध के नकदी प्रवाह भी उसी ढंग से वर्गीकृत किये जायेगे जिस प्रकार से स्थिति के नकदी प्रवाह का बचाव किया जा रहा हो ।

वित्तपोषण गतिविधियां

17. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह का अलग से प्रकटन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिष्ठान को पूंजी प्रदान करने वालों के भावी नकदी-प्रवाह के दावों का अनुमान लगाने के लिए यह उपयोगी है। वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाहों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

(क) शेयरों अथवा अन्य 'इक्विटी' लिखतों के निर्गम से नकद प्राप्तियां ;

(ख) प्रतिष्ठान के शेयरों के अर्जन अथवा प्रतिदान (रीडीम) के लिए स्वामिया को नकद भुगतान ;

(ग) ऋण-पत्रों, ऋणों, नोटों, बंध-पत्रों, बंधकों तथा अन्य अल्प अथवा दीर्घ-कालीन उधारों के निर्गम से प्राप्त नकद राशियां ;

(घ) उधार ली गयी राशियों की नकद चुकौती , तथा

(ङ) वित्तीय पट्टे से संबंधित बकाया देयता को कम करने के लिए पट्टाकर्ता द्वारा किया गया नकद भुगतान ।

परिचालन गतिविधियों से नकदी-प्रवाहों की रिपोर्टिंग

18. प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से एक विधि का इस्तेमाल करते हुए परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना देगी :

(क) प्रत्यक्ष विधि : जिसके द्वारा सकल नकद प्राप्तियां और सकल नकद भुगतान की प्रमुख श्रेणियों का प्रकटन दिया जाता है, अथवा

(ख) अप्रत्यक्ष विधि : जिसके द्वारा नकदी से भिन्न किस्म के लेन-देन के प्रभावों, किसी अतीत या भावी परिचालन की नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय, एवं निवेश अथवा वित्तपोषण द्वारा नकदी प्रवाह से संबंद्ध आय अथवा व्यय मदों का लाभ अथवा हानि में समायोजन किया जाता है।

19. प्रतिष्ठानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हुए परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी-प्रवाहों की सूचना दें । प्रत्यक्ष विधि में ऐसी सूचना होती है जो भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में उपयोगी हो सकती है तथा वह सूचना अप्रत्यक्ष विधि में उपलब्ध नहीं होती । प्रत्यक्ष विधि में सकल नकद प्राप्तियों और सकल नकद भुगतानों की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में सूचना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है:-

(क) प्रतिष्ठान के लेखा-संबंधी रिकार्डों से, अथवा

(ख) निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में लाभ-हानि खाते के विवरण में विक्रियों, विक्रय लागतों (वित्तीय संस्था के लिए ब्याज एवं ऐसी ही आय तथा ब्याज व्यय और ऐसे ही प्रभार) तथा लाभ-हानि विवरण की अन्य मदों का समायोजन :-

(i) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) और परिचालन प्राप्य राशियों तथा देय-राशियों में अवधि के दौरान परिवर्तन;

(ii) नकदी से भिन्न अन्य मदें; और

(iii) ऐसी अन्य मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण नकदी प्रवाह हैं ।

20. अप्रत्यक्ष विधि के अधीन परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह का निर्धारण निम्नलिखित के प्रभाव से लाभ अथवा हानि का समायोजन किया जाता है :-

(क) अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान तथा परिचालन प्राप्य राशियों तथा देय-राशियों में परिवर्तन;

(ख) नकदी से भिन्न मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, न वसूल हुए विदेशी मुद्रा लाभ और हानियां तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों के अवितरित लाभ; और

(ग) ऐसी अन्य मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण नकदी प्रवाह हैं ।

विकल्प के रूप में, परिचालन गतिविधियों से होने वाले शुद्ध नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि से लाभ-हानि विवरण में प्रकटित राजस्व और व्यय के रूप में और अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान तथा परिचालन का प्राप्य और देय राशियों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों की रिर्पोटिंग

21. प्रत्येक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 22 और 24 में उल्लिखत सीमा तक के नकदी प्रवाहों को छोड़कार निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से हुई सकल नकद प्राप्तियों एवं सकल नकद भुगतानों की मुख्य श्रेणियों की अलग-अलग सूचना देगा।

शुद्ध आधार पर नकदी-प्रवाह की सूचना देना

22. निम्नलिखित परिचालन निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना भी शुद्ध आधार पर दी जा सकतीहै :-

(क) ग्राहकों की ओर से नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जब नकद-प्रवाह से प्रतिष्ठान की गतिविधियां नहीं बल्कि ग्राहक की गतिविधियां परिलक्षित होती हों , और

(ख) ऐसी मदों के लिए नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जिनमें टर्न ओवर जल्दी हो, रकम बड़ी हो और परिपक्वता अल्पकालीन हो ।

23. अनुच्छेद 22 (क) में जिन प्राप्तियों और भुगतानों का उल्लेख है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

(क) बैंक की मांग जमा राशियों को स्वीकार करना तथा चुकाया जाना;

(ख) किसी निवेश -प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों के लिए रखी गयी निधियां; और

(ग) सम्पत्तियों के स्वामियों की ओर से इक्ट्ठे किये गये किराये तथा उन्हें किया गया किराया भुगतान ।

23.(क) अनुच्छेद 22 (ख) में जिन प्राप्तियों और भुगतानों का उल्लेख है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

(क) क्रेडिट कार्ड ग्राहकों का मूलराशि;

(ख) निवेशों का क्रय व विक्रय; और

(ग) अन्य अल्प-कालीन उधार, उदाहरण के लिए ऐसे उधार जिनकी परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

24. किसी वित्तीय संस्था की निम्नलिखित गतिविधियों से उद्भूत नकदी-प्रवाह की सूचना शुद्ध आधार पर दी जानी चाहिएः-

(क) निश्चित परिपक्वता तिथि वाली नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जो जमा-राशियों की स्वीकृति और चुकौती के लिए हों;

(ख) अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रकम जमा करवाना तथा उस जमा रकम को उनसे निकलवाना; और

(ग) ग्राहकों को दिये गये नकद अग्रिम और ऋण तथा उन अग्रिमों और ऋणों की चुकौती ।

विदेशी मुद्रा नकदी-प्रवाह

25. विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन-देनों से उद्भूत नकदी-प्रवाहों को प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जायेगा । ऐसा करने के लिए विदेशी मुद्रा की राशि पर नकदी प्रवाह की तिथि को लागू कार्यात्मक मुद्रा ओर विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू होगी ।

26. किसी विदेशी अनुषंगी के नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह तारीख की कार्यात्मक मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर रूपांतित किया जायेगा ।

27. नकदी-प्रवाह जो विदेशी मुद्रा में हो उसकी सूचना भारतीय लेखा मानक 21 *विदेशी मुद्रा में परिवर्तनों का प्रभाव* के अनुरूप होगी । इससे ऐसे विनिमय दर को प्रयोग करने की अनुमति मिलती है जो वास्तविक दर के करीब होती है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी अनुषंगी के विदेशी मुद्रा लेन-देनों अथवा नकदी प्रवाहों को रूपांतित करने के लिए एक अवधि की भारित औसत विनिमय दर का इस्तेमान किया जायेगा । बहरहाल, भारतीय लेखा मानक 21 इस बात की अनुमति नहीं देता कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी अनुषंगी के नकदी प्रवाह को रूपांतित करते समय लागू विनिमय दर का प्रयोग किया जाये ।

28. विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के फलस्वरूप जो लाभ या हानियाँ हुई हों यदि वे वसूल न हुई हों तो उन्हें नकदी प्रवाह नहीं माना जाएगा । बहरहाल, विदेशी मुद्रा में रखी गई अथवा प्राप्य नकदी अथवा नकदी-तुल्य पर विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तनों के जो प्रभाव होंगे उनकी सूचना नकदी प्रवाह विवरणों में इस तरह दी जायेगी ताकि अवधि के प्रारंभ और अंत में नकदी और नकदी तुल्यों का मिलाप हो सके । यह रकम परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी-प्रवाह के अनुसार अलग-अलग दिखायी जायेगी और इसमें यदि कोई अंतर है तो इसे इस तरह शामिल किया जायेगा कि मानो वे नकद प्रवाह विनिमय दरों की अवधि के अंत में रिपोर्ट किये गये हैं ।

29. (देखें परिशिष्ट 1)

30. (देखें परिशिष्ट 1)

ब्याज और लाभांश

31. **प्राप्त तथा प्रदत्त ब्याज ,ããõÀ Êãã¼ããâÍã Ôãñ Öãñ¶ãñ ÌããÊãñ ¶ã‡ãŠªãè ¹ãÆÌããÖ ‡ãŠã ¹ãÆ‡ãŠ›¶ã ,ãÊãØã- ,ãÊãØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý ãäÌã§ããè¾ã ÔãâÔ©ãã ‡ãŠñ ½ãã½ãÊãñ ½ãñâ ¹ãÆª§ã º¾ãã•ã †Ìãâ ¹ãÆã¹¦ã º¾ãã•ã ,ããõÀ Êãã¼ããâÍã ‡ãŠãñ ¹ãäÀÞããÊã¶ã Øããä¦ãäÌããä£ã¾ããñâ Ôãñ „ª¼ãî¦ã ¶ã‡ãŠªãè ¹ãÆÌããÖãñâ ‡ãŠñ Â**प में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । **,ã¶¾ã ¹ãÆãä¦ãÓŸã¶ããò ‡ãŠñ ½ãã½ãÊãñ ½ãñâ ¹ãÆª§ã º¾ãã•ã Ôãñ „ª¼ãî¦ã ¶ã‡ãŠªãè ¹ãÆÌããÖãñâ ‡ãŠãñ ãäÌã§ã¹ããñÓã¥ã ØããÄ¦ãäÌããä£ã¾ããñâ Ôãñ Öãñ¶ãñ ÌããÊãñ ¶ã‡ãŠªãè ¹ãÆÌããÖãñâ ‡ãŠñ Â**प में तथा प्राप्त लाभांशों को निवेश गतिविधियों से होने वाले **¶ã‡ãŠªãè ¹ãÆÌããÖãñâ ‡ãŠñ Â**प में वर्गीकृत किया जाएगा । **¹ãÆª§ã Êãã¼ããÍããñâ ‡ãŠãñ ãäÌã§ã¹ããñÓã¥ã ØããÄ¦ãäÌããä£ã¾ããñâ Ôãñ Öãñ¶ãñ ÌããÊãñ ¶ã‡ãŠªãè ¹ãÆÌããÖ ‡ãŠñ Â**प में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ।

32. किसी अवधि के दौरान प्रदत्त कुल ब्याज की कुल राशि, चाहे लाभ अथवा हानि में व्यय के रूप में मानी गयी हो अथवा भारतीय लेखा मानक 23, *उधार की लागतें* के अनुसार पूंजीकृत की गई हो, उसे नकदी प्रवाह विवरण में प्रकटित किया जायेगा ।

33. वित्तीय संस्था के मामले में प्रदत्त ब्याज एवं प्राप्त ब्याज और लाभांश को प्रायः परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन, अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में इन नकदी प्रवाहों को वर्गीकृत किये जाने के संबंध में कोई एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश को परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योकि उनसे लाभ अथवा हानि का निर्धारण होता है। बहरहाल, यह अधिक उपयुक्त होगा कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश क्रमशः वित्तपोषण नकदी प्रवाह तथा निवेश नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाए क्योंकि ये वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की लागतें अथवा निवेशों से होने वाली प्राप्तियां हैं ।

34. कुछ लोगों का यह भी मत है कि प्रदत्त लाभांशों को परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के एक अंग (अवयव) के रूप में वर्गीकृत किया जाए ताकि उपयोगकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद मिल सके कि परिचालन नकदी प्रवाह में से लाभांश का भुगतान करने में प्रतिष्ठान की कितनी क्षमता है। बहरहाल, यह अधिक उपयुक्त माना जाता है कि प्रदत्त लाभांशों को वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाये क्योंकि वे वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की लागत हैं।

आय पर कर

35. आयकर से होने वाले नकदी प्रवाहों का प्रकटन अलग से किया जाएगा और उन्हें तब तक परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा जब तक उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों के साथ संबद्ध न किया जाए ।

36. आय कर ऐसे लेन-देनों पर होते है जिनसे ऐसे नकदी प्रवाह होते हैं जिन्हें नकदी प्रवाह विवरण में परिचालन, निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है । यद्यपि कर-व्यय को तुरंत निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से संबद्ध किया जा सकता है तथापि संबंधित कर नकदी प्रवाहों की प्रायः पहचान करना अव्यवाहरिक होता है और वे अंतर्निहित लेन-देन के नकदी प्रवाह से भिन्न अवधि में उद्भूत हो सकते हैं। इसलिए, प्रदत्त करों को प्रायः परिचालन गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहरहाल, जब कर संबंधी नकदी प्रवाह को किसी ऐसे लेन-देन से संबद्ध करना व्यावहारिक हो जिससे ऐसे नकदी प्रवाह उद्भूत हों जिन्हें निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उस कर-नकदी प्रवाह को, जैसा भी उचित हो, निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । जब कर- संबंधी नकदी प्रवाह को एक-से अधिक श्रेणी की गतिविधियों में बांटा गया हो तो प्रदत्त करों कि कुल राशि प्रकटित की जाती है।

अनुषंगियों, सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

37. किसी सहयोगी प्रतिष्ठान, एक संयुक्त उद्यम अथवा अनुषंगी मे किये गये निवेश का हिसाब लगाते समय जब 'इक्विटी' या लागत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है तो निवेशक नकदी प्रवाह विवरण में सूचना देते समय केवल अपने और निवेशिती के बीच होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना देता है। उदाहरण के लिए, लाभांशों और अग्रिमों से सम्बधित सूचना ।

38. एक प्रतिष्ठान जो इक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अपने एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुकत उद्यम में हित की सूचना देता है वह अपने नकदी प्रवाह विवरण में सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में अपने निवेशों संबंधी नकदी प्रवाह एवं अपने तथा सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के बीच वितरण और अन्य भुगतानों अथवा प्राप्तियों को शामिल करता है।

अनुषंगियों तथा अन्य कारोबारों के बीच स्वामित्व हितों में परिवर्तन

39. अनुषंगियों तथा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण पाने अथवा खो देने के फलस्वरूप हुआ कुल नकदी प्रवाह अलग से प्रस्तुत किया जायेगा और उसे निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

40. अवधि के दौरान, अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के संबंध में कोई प्रतिष्ठान निम्नलिखित की कुल सूचना देगा :-

(क) कुल प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल राशि :

(ख) प्रतिफल राशि का वह हिस्सा जिसमें नकदी अथवा नकदी तुल्य हों ;

(ग) अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों जिन पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है अथवा खो दिया गया है उनमें नकदी अथवा नकदी तुल्यों की राशि ; और

(घ) जिन अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है अथवा खो दिया गया है उनकी नकदी अथवा नकदी तुल्यों को छोड़कर आस्तियों और देयताओं की राशि, जिनकी प्रत्येक प्रमुख श्रेणी का सार प्रस्तुत किया जायेगा ।

40क एक निवेश प्रतिष्ठान जिसकी भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* में परिभाषा दी गई है, उसे एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में निवेश पर अनुच्छेद 40 (ग) और 40 (घ) का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है जिसे लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापना अपेक्षित है।

41. अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के नकदी प्रवाह प्रभारों का एक लाइन मदों के रूप में अलग प्रस्तुतिकरण से तथा अर्जित या निपटायी गयी आस्तियों एवं देयताओं की राशि की जानकारी से उन नकदी प्रवाहों तथा अन्य परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों संबंधी नकदी प्रवाहों का अंतर पता लगता है। नियंत्रण खोने के कारण नकदी-प्रवाह के प्रभावों को नियंत्रण पाने के नकदी प्रवाहों में से कम नहीं किया जाता ।

42. अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल की कुल राशि ऐसे लेन-देन -स्थितियों अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अर्जित अथवा निपटायी गयी नकदी अथवा नकदी तुल्यों की सूचना नकदी प्रवाह विवरणी में शुद्ध दी जाती है।

42 क. किसी अनुषंगी के स्वामित्व हितों में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नियंत्रण नहीं खोता है उनसे उत्पन्न नकदी प्रवाहों को वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाह माना जाएगा। लेकिन तब जब अनुषंगी निवेश, प्रतिष्ठान द्वारा धारित नही है, निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा भारतीय लेखा मानक 110 में दी गयी है और वह लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है।

42 ख. किसी अनुषंगी के स्वामित्व हितों में हुए जिन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जैसे कि मूल प्रतिष्ठान द्वारा बाद में अनुषंगी की इक्विटी लिखतों का क्रय अथवा विक्रय होता है उन्हें इक्विटी लेनदेन के रूप में दिखाया जाता है [देखें भारतीय लेखा मानक 110] लेकिन ऐसा तब तक है जब तक कि अनुषंगी प्रतिष्ठान निवेश प्रतिष्ठान द्वारा धारित नही है और तब यह लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा

जाना अपेक्षित है। *तद्नुसार, उसके परिणाम के रूप में होने वाले नकदी प्रवाहों को उसी रूप में वर्गीकृत किया जाता है जैसा कि अनुच्छेद 17 में वर्णित स्वामित्व सहित अन्य लेन-देन को किया जाता है।*

गैर-नकदी लेन-देन

43. जिन निवेश और वित्तपोषण लेन-देन में नकदी अथवा नकदी तुल्यों की जरूरत नहीं होती उन्हें नकदी प्रवाह विवरणी में शामिल नहीं किया जाएगा । इस तरह के लेन-देन को अन्यत्र वित्तीय विवरणों में इस रूप में प्रकटित किया जाएगा कि निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के संबंध में पूर्ण प्रासंगिक सूचना मिल जाये ।

44. बहुत-सी निवेश व वित्तपोषण गतिविधियांजो मौजूदा नकदी प्रवाह को प्रभावित नहीं करतीं, उनका प्रतिष्ठान की पूंजी और आस्ति संरचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। नकदी प्रवाह विवरण में से नकदी से भिन्न लेन-देन को निकाल देना नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के अनुरूप ही है क्योंकि इन मदों में मौजूदा अवधि का नकदी प्रवाह शामिल नही है। नकदी से भिन्न लेन-देन के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

(क) सीधे ही देयताओं को अपना कर अथवा वित्तीय पट्टे के माध्यम से आस्तियों का अधिग्रहण

(ख) इक्विटी निर्गम द्वारा किसी प्रतिष्ठान का अधिग्रहण, और

(ग) ऋण को 'इक्विटी' में बदलना

नकदी और नकदी- तुल्यों के घटक

45. कोई भी प्रतिष्ठान नकदी और नकदी तुल्यों के घटकों की प्रकटना करेगा और अपने नकदी प्रवाह विवरण में रकमों का मिलान तुलन पत्र में बतायी गयी समान मदों से प्रस्तुत करेगा ।

46. विश्वभर में नकदी प्रबंध की अनेक प्रथायें तथा बैंकिंग व्यवस्थाएं देखते हुए तथा, भारतीय लेखा-मानक 1 *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* का अनुपालन करते हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान अपनी नीति प्रकटित करता है जो नकदी और नकदी तुल्यों के स्वरूप को तय करने के लिए अपनाता है।

47. नकदी और नकदी तुल्यों का स्वरूप तय करने वाली किसी भी नीति (पॉलिसी) में किसी परिवर्तन का प्रभाव, **उदाहरण के लिए, वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण में बदलाव को, जो पहले प्रतिष्ठान के निवेश पोर्टफोलियों का हिस्सा मानी जाती थी, भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां* के अनुसार सूचित किया जाता है ।**

अन्य प्रकटन

48. प्रत्येक प्रतिष्ठान, प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ प्रतिष्ठान के पास रखे गये प्रमुख नकदी और नकदी तुल्यों के शेषों की राशि का प्रकटन करेगा जो समूह[1] द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।

49. ऐसी बहुत-सी परिस्थितियां होती है जिनमें प्रतिष्ठान की नकदी और नकदी तुल्य समूह[2] के प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती । इन उदाहरणों में शामिल है अनुषंगी जो किसी ऐसे देश में कार्य कर रही हैं जहां विदेशी मुद्रा नियंत्रण और अन्य विधिक प्रतिबंध लागू होते हैं के पास नकदी और नकदी तुल्य के शेष जो मूल प्रतिष्ठान और अन्य अनुषंगियों के आम उपयोग के लिए उपलब्ध न हो ।

50. किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा तरलता को समझने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सूचना प्रासंगिक होती है। प्रबंधन की टिप्पणी सहित इस सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :-

(क) अनाहरित उधार सुविधाओं की राशि, जो भावी परिचालन गतिविधियों के ÔãâÞããÊã¶ã तथा पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के ¼ìiØã¦ãã¶ã लिए उपलब्ध हो । इन सुविधाओं पर यदि किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं तो उनके संकेत दे;

(ख) (देखें परिशिष्ट 1);

(ग) नकदी प्रवाह की ऐसी कुल राशि जो परिचालन क्षमता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हो तथा उस नकदी-प्रवाह से भिन्न हो जो परिचालन क्षमता बनाये रखने के लिए अपेक्षित हो; और

(घ) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी- प्रवाह की राशि (देखें भारतीय लेखा मानक 108, *परिचालन खण्ड*) ।

51. नकदी- प्रवाह जो परिचालन क्षमताओं में वृद्धि की जानकारी देते हैं तथा नकदी-प्रवाह जो परिचालन क्षमता को बनाये रखने के लिए जरूरी हैं उनका अलग- अलग प्रकटन देने से उपयोगकर्ता को यह पता लगता है कि क्या प्रतिष्ठान परिचालन क्षमता को बनाये रखने के लिए पर्याप्त निवेश कर रहा है । यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो संभव है वह अपनी मौजूदा तरलता और स्वामिया को वितरण के खातिर भावी लाभप्रदता को संकट में डाल रहा होगा ।

52. खण्डों के नकदी प्रवाह की जानकारी से उपयोगकर्ताओं को समग्र रूप से प्रतिष्ठान के कारोबार के नकदी- प्रवाह तथा उसके घटक के बीच संबंधों एवं खण्डों के नकदी प्रवाह की उपलब्धता और उनकी परिवर्तनशीलता का पता चलता है।

---

[1]पृथक वित्तीय विवरणों के मामले में भी ये अपेक्षाएं समान रुप से लागू होंगीं ।

[2] *पूर्वोक्त*

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 और तद्नुरूपी अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 7, नकदी प्रवाह विवरण के बीच, यदि कोई प्रमुख अंतर हैं, तो उन्हे स्पष्ट किया जाये ।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 7 नकदी प्रवाह विवरण के साथ तुलना

भारतीय लेखा मानक 7 और अंतररष्ट्रीय लेखा-मानक 7, *नकदी प्रवाह विवरण*में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठानों के मामले में अंतरर्राष्ट्रीय लेखा मानक 7 यह विकल्प देता है कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज तथा लाभांशों को परिचालन नकदी प्रवाह की मद के रूप में वर्गीकृत किया जाये । लेकिन, भारतीय लेखा मानक 7 ऐसा कोई विकल्प नहीं देता और यह अपेक्षा करता है कि इन मदों को क्रमशः वित्तपोषण गतिविधि और निवेश गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाये (अनुच्छेद 33 देखें)

2. अंतरर्राष्ट्रीय लेखा मानक 7 यह विकल्प देता है कि प्रदत्त लाभांश को परिचालन गतिविधि की मद के रूप में वर्गीकृत किया जाये। परंतु भारतीय लेखा मानक 7 यह अपेक्षा करता है कि इसे केवल वित्तपोषण गतिविधि के अंग के रूप में वर्गीकृत किया जाये (अनुच्छेद 34 देखें) ।

3. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।

4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 के अनुच्छेद 2 में यह उल्लेख किया गया है कि इसी लेखा मानक अर्थात् आई ए एस 7 के पूर्ववर्ती संस्करण का अधिक्रमण कर दिया गया है अतः उसे भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 से हटा दिया गया है क्योंकि इस लेखा मानक अर्थात् इंड ए एस 7 में यह प्रासंगिक नहीं है। लेकिन, अनुच्छेद संख्या 2 को इंड ए एस 7 में रख लिया गया ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 7 के अनुच्छेदों से क्रमबद्धता बनी रहे ।

5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाये गये' इंगित हैं। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 7 में अनुच्छेदों की संख्या के साथ क्रमबद्धता बनाये रखने के लिए इन (निम्नलिखित) अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 7 में रहने दिया गया है -

   (i) अनुच्छेद 29
   (ii) अनुच्छेद 30
   (iii) अनुच्छेद 50 (ख)